न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
38/2023 प्रा.पत्र/2023	14.06.2023	27.03.2026

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रक टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन निवासी गढ़ रोड उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर टोंक रोड उनियारा जिला टोंक।पिनकोड—304024 मोबाईल नं0 8104161709
2—मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर टोंक रोड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड—304024
3—श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री बंसीलाल जैन निवासी वार्ड नं0 7, चार हट्रिया तेजाजी की गली नैनवां जिला बून्दी प्रोपरायटर मैसर्स बाबू लाल मनोज कुमार भगत सिंह सर्किल उनियारा चौराहा नैनवां जिल बून्दी। पिनकोड—323801
4—मैसर्स बाबू लाल मनोज कुमार भगत सिंह सर्किल उनियारा चौराहा नैनवां जिला बून्दी। पिनकोड—323801
5—श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पोसा राम निवासी गोगाजी बस स्टैण्ड के पास मण्डावाला, जालौर राज0 नॉमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं0 बी—228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड—302013
6— मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं0 बी—228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड—302013
7—श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री खुदा बक्श निवासी रोरावर शाहजामाल, कोल, अलीगढ़ उत्तरप्रदेश नॉमिनी मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट द्वितीय खेरेश्वर धाम के पास, खेर रोड अलीगढ उत्तरप्रदेश। पिनकोड—202001
8— मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट द्वितीय खेरेश्वर धाम के पास, खेर रोड अलीगढ उत्तरप्रदेश। पिनकोड—202001

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 ता 8 श्री रोमेन्द्र गूर्जर उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 27|3|26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.09.2022 को समय दोपहर 04:20 पी.एम. पर मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री शान्तिनाथ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किराणा स्टोर टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड़, तेल, नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन ने स्वयं को उक्त फर्म एक मात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी व मसालों के साथ–साथ दुकान की रैंक में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक के लगभग 100 नग **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ. बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दिनेश जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक में से **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैंच ए 475 एवं पैंकिग की दिनांक अगस्त 2022 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500–500 एम.एल पैक की 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर,,नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3278 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3278 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री जम्बू जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन . मैसर्स श्री शान्तिनाथ किराणा स्टोर टोंक रोड उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बाबू लाल मनोज कुमार भगत सिंह सर्किल उनियारा चौराहा नैनवां जिला बून्दी का बिल प्रस्तुत कर एवं मैसर्स बाबू लाल मनोज कुमार भगत सिंह सर्किल उनियारा चौराहा नैनवां जिला बून्दी ने मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं0 बी–228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज0 एवं मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नं0 बी–228 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज0 ने मैसर्स भोले बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

द्वितीय खेरेश्वर धाम के पास, खेर रोड अलीगढ उत्तरप्रदेश ने मौके पर बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/3551 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2797/एक्ट/2022/2829 दिनांक 04.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 अनुपस्थित रहें। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 ता 8 श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 40,000/– (अक्षरे चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक